राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या–21054 / 2017

आदेश दिनांक **16.07.2019**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री एन.के.मालू, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री अजीत मालू, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण
श्री प्रहलाद शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण
श्री विशेष शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 2

प्रत्यर्थी संख्या–1, 6से 9 व 11 की ओर योग्य अधिवक्ता श्री प्रहलाद शर्मा उपस्थित आये तथा उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या– 3 व 4 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से श्री विशेष शर्मा उपस्थित है।

प्रकरण में तामील पूर्ण हो चुकी है।

प्रत्यर्थीगण रिट याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है।

यह अपील अब चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे। तब तक प्रकरण में पूर्व पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.11.2017 प्रभावी रहेगा। साथ ही तब तक दोनों पक्षों को वादग्रस्त सम्पत्ति पर निमर्ण करने के सम्बन्ध में आज की स्थिति यथावत् बनाये रखने हेतु भी पाबन्द किया जाता है।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-16

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते